न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12 / 156 / 2025 दायर दिनांकः–13.10.2025 रजि0 न0 2025 / 364

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री रामनिवारा शर्मा, नि० प्लॉट नं. 11, बनिया का बाग, जयपुर रोड़, अलवर–301001	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 28.10.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 11.08.2025 के परिपेक्ष्य में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर उचित सूचना दिलवाये जाने हेतु अपील पेश की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 27.10.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील पत्रांक लो०सू०अ० / प्रथम अपील / 2025 / 2047 दिनांक 24.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 11.08.2025 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार **RTI Online Portal** पर जरिये **Application No.** 293630384026514 दिनांकः 13.08.2025 दर्ज रजिस्टर कर, वांछित सूचना कार्यालय स्तर पर न्याय अनुभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर किए गए विनिश्चय किया जा कर ऑनलाइन पत्र सं. 5745543748 दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से अपीलार्थी को पंजीकृत–पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. पत्रावली का अवलोकन किया गया जवाब प्रत्यर्थी रिकार्ड पर लिया गया प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना के क्रम में ऑनलाइन पत्र सं. 5745543748 दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है एवं प्रथम अपील के अनुसरण में लो०सू०अ० / प्रथम अपील / 2025 / 2047 दिनांक 24.10.2025 के माध्यम से अपीलार्थी को संसूचित किया जा चुका है जो अपूर्ण है जबकि लोकहित में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो संदर्भित आयुध लाईसेंस के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध–संधारित अघतन कार्यवाही से अपीलार्थी को नियमानुसार पंजीकृत–पत्र के माध्यम से संसूचित कर दिया जावे। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 028.10.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर